अनुदान संख्या 5 - रसायन और पेट्रोरसायन विभाग
GRANT No. 5 - DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	207,67,00	207,68,00	143,95,75	-63,72,25
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				63,69,51
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		1,33,00	..	-1,33,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,33,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	515.00	..	..	..
पु.	R.	-515.00			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	18117.00	12313.92	12311.19	-2.73
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-5804.08			

(I) ₹515.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" – "पेट्रो–रसायन उद्योग (अन्य व्यय) – पेट्रो रसायनों की नई स्कीम" के अंतर्गत एक मामले में – उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में प्लास्टिक पार्क/उत्कृष्टता केन्द्रों द्वारा उपलब्धि अर्जित न करने तथा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया का अनुपालन न करने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2852" – "पेट्रो–रसायन उद्योग – अन्य व्यय" – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईं :–

(का) "केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान" – ₹3643.00 लाख की बचत (₹10024.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान के पास अव्ययित बकाया उपलब्ध होने के कारण हुई।

(खा) "पेट्रो–रसायनों की नई स्कीमें" – ₹1912.76 लाख की बचत (₹4335.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ओडिशा, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु में प्लास्टिक पार्कों द्वारा उपलब्धियां प्राप्त न करने और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधि प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया का पालन न होने के कारण हुई।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹133.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और अंततः उसे अभ्यर्पित कर दिया गया।

(I) Provision of ₹515.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under Major Head "2552" - "Petro-Chemical Industries (Other Expenditure) - New Schemes of Petrochemicals" - due to non-attainment of milestones by the plastic park/Centres of Excellence in North Eastern Region and non-compliance of revised procedure for flow of funds by the implementing agencies.

(II) Under Major Head "2852" - "Petrochemical Industries - Other Expenditure" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology (CIPET)" - saving of ₹3643.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10024.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the institute.

(B) "New Schemes of Petrochemicals" - saving of ₹1912.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4335.00 lakhs) was due to non-attainment of milestones by the plastic parks in Odisha, MP and Tamil Nadu and non-compliance of revised procedure for flow of funds by the implementing agencies.

2. In the capital section of the grant, provision of ₹133.00 lakhs remained wholly unutilized under one head and was eventually surrendered.